

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 17.09.2025

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 339/2018 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सुरजीत पुत्र दयालू निवासी अव्वल केवटहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 048/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अमरजीत निषाद पुत्र दयालु निषाद निवासी अक्वल केवटहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 049/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विश्वदेव निषाद पुत्र स्व0 पुन्वासी निवासी अव्वल केवटहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 298/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त सूरज चौधरी पुत्र बेचूलाल पता वार्ड न0-02 राजेन्द्र नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

उक्त प्रकरण में दिनांक 17.08.2025 को वादिनी श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व0 राम केवल निवासी कटया पंडित उर्फ जयरामपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती का उक्त अभियुक्त सहित कुल 08 अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी की पुत्री जिसकी शादी 21.04.2024 को अभि0 सूरज चौधरी उपरोक्त के साथ हुयी थी, को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दिनांक 12.12.2024 को दहेज के लिए वादिनी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र जरिये उचित माध्यम प्राप्त हुआ । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 298/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी । आज दिनांक 06.09.2025 को उक्त अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनित गिरि ।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 03 वारण्टी नाम पता 01.दिनेश पुत्र विश्वनाथ निवासी जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 02.कपिलदेव पुत्र रामनरेश यादव निवासी जमोहरा टोला मदरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 03.रामनरेश यादव पुत्र बृजलाल निवासी जमोहरा टोला मदरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दशरथ, उ0नि0 श्री विरेन्द्र चौधरी, हे0का0 मुरली मनोहर।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता निरहू शर्मा पुत्र शिवमूरत साकिन मुठही खुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 गौरव चौहान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 वाहनों से 2,69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 234 वाहनों से 2,69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- ☐ *पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा अवैध अतिक्रमण व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान*
- ☐ *अभियान के तहत जनपद से कुल 234 वाहनों से 2,69,000 रु0 वसूला गया जुर्माना*
- ☐ *विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा सड़क किनारे से हटवाया गया अतिक्रमण, लोगों को किया गया जागरूक*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री अभयनाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 17.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरूकता के नियमों के बारे में जागरूक करते हुए अवैध अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने वालों व बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर मेंहदावल बाइपास व आशीर्वाद होटल के आसपास ठेला लगाकर फल बेचने वालों को हटवाया गया तथा अवरुद्ध मार्ग को आवागमन हेतु सुचारु किया गया, जिससे मेंहदावल बाइपास व आशीर्वाद होटल पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी।

अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 04 वाहनों से 3,500 रुपए, थाना धनघटा से 04 वाहनों से 4,000 रुपए, थाना महुली से 07 वाहनों से 7,000 रु0, थाना मेंहदावल से 08 वाहनों से 8,000 रु0, थाना बखिरा से 30 वाहनों से 30,000 रु0, थाना बेलहरकला से 05 वाहनों से 5,000 रु0, थाना धर्मसिंहवा से 07 वाहनों से 7,500 रु0 व यातायात पुलिस द्वारा 169 वाहनों से 2,04,000 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।